

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/ ५८६७ /

जबलपुर, दिनांक २४/१२/१८

दो-१३-४९/१८

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक १६१/४/३१/८२/नि-१/४, दिनांक ३१.०१.१९८३ में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री सउद अहमद, लिफ्टमैन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की मृत्यु दिनांक १०/११/२०१८ को हो जाने के फलस्यरूप उनके अवकाश लेखे में शेष १५५ दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती ईशरत जहौं पति स्वर्गीय श्री सउद अहमद लिफ्टमैन को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/ ५८६८ /

जबलपुर, दिनांक २४/१२/१८

दो-१३-४९/१८

प्रतिलिपि -

१. रजिस्ट्रार (आईटी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
 २. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 ३. ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 ४. अनुभाग अधिकारी लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 ५. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 ६. सहायक वेतन पत्रक / अवकाश / सेवापुरितका / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 ७. दो अतिरिक्त प्रति-ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
 ८. श्रीमती ईशरत जहौं पति स्वर्गीय श्री सउद अहमद, लिफ्टमैन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- पता— न्यू अहमद नगर मोहोरिया, मकान नं. ४१०० / आर ५८, जकीर होटल की गली, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) मो नं. ९९८१०२७२२३ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

Abuwa

(अजय पवार)

ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

२४.१२.१८